उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या-533/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादूनः: दिनांकः: 30 जून, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 के नियम 138 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उन दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में, जिन्हें उस व्यक्ति द्वारा, जो प्रवहण, जिसमें माल का परेषण किया जा रहा है, संचलन या अभिवहन भण्डारण में माल ले जाने के दौरान अपने पास रखा जाएगा, को अधिसूचित करने की सहर्ष, स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात :–

(1) किसी व्यक्ति को माल की आपूर्ति करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति अथवा माल की डिलेवरी प्राप्त करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को 'टैक्स इनवाइस, क्रेडिट एण्ड डेबिट नोट्स' नियमों के अनुरूप कर बीजक, बिल ऑफ सप्लाई, डिलेवरी चालान अथवा कोई अन्य विहित प्रपत्र, जैसी भी दशा हो, की प्रति उपलब्ध करायेगा और इसे माल के साथ ले जाया जायेगा।

(2) पंजीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से माल की आपूर्ति प्राप्त करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को एक बीजक अथवा कोई अन्य विहित प्रपत्र जारी करेगा और इसे माल के साथ ले जाया जायेगा।

(3) प्रवहण का स्वत्वधारी, ड्राईवर, अन्य कोई प्रभारी व्यक्ति, संचलन के दौरान भण्डारित माल का प्रभारी अथवा माल स्वामी प्रवहण में ले जाये जाने वाले ऐसे माल अथवा इस प्रकार भण्डारित माल के सम्बन्ध में, निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ रखेगा–

(एक) कर बीजक, पूर्ति का बिल या पूर्ति से अन्यथा चालान;
(दो) बिल्टी अथवा गुड्स रिसीट;
(तीन) अन्य कोई प्रपत्र, जो राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा इस हेतु विहित करे।

(4) आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, अभिवहन में माल के निरीक्षण के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकते हैं।

(5) यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संo-533/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव